



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा-1/2017/5031

भोपाल, दिनांक 15/05/2017

परिपत्र

प्रति,

संचालक,
समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ

विषय:- परीक्षा सत्र मई-जून 2017 में 1डीसीए पाठ्यक्रम की ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा मई-जून 2017 परीक्षा सत्र में डीसीए प्रथम सेमेस्टर के केवल जनवरी 2017 में प्रवेशित विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। डीसीए प्रथम सेमेस्टर का विस्तृत सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीसीए प्रथम सेमेस्टर के केवल जनवरी 2017 में प्रवेशित छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 7 जून 2017 से 12 जून 2017 तक विभिन्न पालियों में आयोजित की जावेगी।

डीसीए प्रथम सेमेस्टर (केवल जनवरी 2017 में प्रवेशित विद्यार्थियों) की ऑनलाइन परीक्षा कम्प्यूटर पर ऑनलाइन माध्यम से ली जायेगी। विवरण निम्नानुसार है:-

- प्रत्येक पेपर की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।
- प्रत्येक प्रश्न-पत्र के प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के चार विकल्प होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में चयन करना होगा।
- प्रत्येक प्रश्न-पत्र पांच इकाईयों में विभाजित होगा, प्रत्येक इकाई में 32 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न-पत्र 160 प्रश्नों का होगा।
- प्रत्येक सही उत्तर पर 1/2 (आधा) अंक दिया जावेगा, अतः एक पेपर कोड का ऑनलाइन प्रश्न-पत्र 80 अंको का होगा।
- दो भाषाओं- अंग्रेजी एवं हिन्दी में प्रश्न एवं उत्तर के विकल्प कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किये जायेगे।
- नेगेटिव मार्किंग नहीं की जावेगी।
- विभागाध्यक्ष, परिसर प्रभारी एवं संचालक अपने लॉगिन से अपने विभाग/संस्था के प्रवेश पत्रों को डाउन लोड कर विद्यार्थियों को वितरित करेंगे। प्रश्न-पत्र डॉक द्वारा नहीं भेजे जावेगें।
विस्तृत डेट-शीट शीघ्र ही वेबसाइट पर घोषित की जावेगी।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव

क्रमांक/परीक्षा-1/2017/5032

भोपाल, दिनांक 15/05/2017

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त प्रभारी, खंडवा परिसर, नोयडा परिसर, ग्वालियर, रीवा एवं अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक (संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ) को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (गोपनीय) की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट की ओर अपलोड करने हेतु।

(दीपक शर्मा)
कुलसचिव